कार्यालय, अंचल अधिकारी, कोडरमा।

शबनम शबा,
पति जाकिर हुसैन,
ग्राम व थाना, कोडरमा।
जिला— कोडरमा।

विविध वाद सं0 55 / 2017–18

20/9/17 आवेदिका शबनम शबा, पति जाकिर हुसैन, ग्राम— कोडरमा, पो0 कोडरमा, थाना कोडरमा, जिला–कोडरमा के द्वारा आवेदन दिया गया है कि मौजा कोडरमा, थाना नं0 333, खाता नं0 625, सिकमी खाता सं0 100, प्लॉट नं0 703 रकवा 21 डी0 एवं प्लॉट नं0 705 रकवा 04 डी0, कुल रकवा 25 डी0 भूमि की जमाबन्दी माननीय जिला न्यायाधीश ।। द्वारा पारित निर्णय के आलोक में कायम कर लगान रसीद निर्गत करने हेतु अनुरोध किया गया है। अतएव उक्त भूमि के संबंध में हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से जॉच प्रतिवेदन की मांग करें।

अभिलेख दिनांक 8/11/17 को उपस्थापित करें।

20/09/2017
अंचल अधिकारी,
कोडरमा ।

8/11/17
30/7/18 अभिलेख उपस्थापित।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जॉच कर जांच कर प्रतिवेदित किया गया है कि ग्राम कोडरमा, थाना सं0 333, खाता सं0 625, सिकमी खाता सं0 100, प्लॉट सं0 703 एवं 705 रकवा 25 डी0 की जमाबंन्दी माननीय जिला न्यायाधीश ।। द्वारा पारित निर्णय के आलोक में कायम कर लगान रसीद निर्गत करने हेतु अनुरोध की गई है।

आवेदिका द्वारा पूर्व जमाबंदी रैयत जाकिर अली एवं साकिर अली पिता बाकर अली के नाम से वर्ष 1996 एवं 1999 में रकवा 25 डी0 की निर्गत लगान रसीद की छायाप्रति एवं जयपत्र की छायाप्रति प्रस्तुत की गई है।

पंजी ।। :– प्रश्नगत भूमि की जमाबन्दी जाकीर अली व साकीर अली पिता बाकर अली के नाम से विविध वाद सं0 15 / 1992–93 के आधार पर पृष्ठ सं0 125 / 22 पर कायम थी, जिसे भूमि सुधार उपसमाहर्ता, कोडरमा के पत्रांक 166 / रा0 दिनांक 06.05.2002 के द्वारा विविध वाद सं0 01 / 1997–98 में पारित आदेश एवं अंचल अधिकारी के आदेश दिनांक 30.05.2002 के अनुपालन में बंद कर खाता सं0 625 की जमाबंन्दी पृष्ठ सं0 153 / 5 में 25 डी0 रकवा जोड़ा दिया गया।

तदुपरान्त भूमि से संबंधित स्वत्व का मामला TS.NO. 37/2001 मुंसिफ न्यायालय, कोडरमा में चला। पुनः अपील वाद माननीय जिला न्यायाधीश।। सह अपर सत्र न्यायाधीश, कोडरमा के न्यायालय में स्वत्व वाद 14 / 2010 (साकीर अली वगै0 बनाम अब्दुल खैर वगै0) चला। जिसे अपीलार्थी साकीर अली वगै0 के पक्ष में जयपत्रित किया गया।

Scanned with CamScanner

पुनः विपक्षी नजीबुल्लाह अंसारी पिता स्व0 अब्दुल मजीद द्वारा माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड राँची में अपील दायर की गई, जिसका वाद सं0 309/2017 है, जिसकी प्रति संलग्न है। इनके द्वारा जमाबन्दी में किसी प्रकार की परिवर्तन नहीं करने हेतु आवेदन समर्पित किया गया है।

माननीय जिला न्यायाधीश।। द्वारा पारित निर्णय के आलोक में जाकिर अली वो साकीर अली पिता बाकर अली के नाम से पृष्ठ सं0 125/22 में रकवा 25 डी0 की जमाबन्दी पृष्ठ सं0 153/5 से घटाकर इस शर्त के साथ कायम की जा सकती है कि माननीय उच्च न्यायालय, झारखंड, राँची द्वारा पारित निर्णय के फलाफल में उक्त आदेश स्वतः प्रभावी होगा।

अतः उपर्युक्त के आलोक में मौजा कोडरमा, थाना नं0 333, खाता नं0 625, सिकमी खाता सं0 100, प्लौट सं0 703, रकवा 21 डी0 एवं प्लॉट नं0 705 रकवा 04 डी0, कुल रकवा 25 डी0 भूमि की जमाबन्दी पूर्व रैयत जाकिर अली एवं साकिर अली पिता बाकर अली के नाम से पृष्ठ सं0 125/22 में रकवा 25 डी0 की जमाबन्दी दर्ज करने तथा इतना ही जमीन पृष्ठ सं0 153/5 से घटाकर ऑनलाईन में प्रविष्टी करने का आदेश दिया जाता है। भविष्य में माननीय उच्च न्यायालय, झारखंड, राँची द्वारा पारित निर्णय के फलाफल में यह आदेश स्वतः संशोधित समझा जायेगा। संबंधित राजस्व कर्मचारी अनुपालन प्रतिवेदन एक पक्ष के अन्दर प्रस्तुत करें।

30/07/2018
लेखापित एवं संशोधित

30/07/2018
अंचल अधिकारी,
कोडरमा।

Scanned with CamScanner